



म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

CIN: U40109MP2001SGC014880

ब्लाक नं. 2, शक्ति भवन रामपुर, जबलपुर (म.प्र.) 482008 दूरभाष : (0761) 2702036, 2702041
फैक्स: (0761) 2664450, e-mail: ce.ca@mptransco.nic.in, website: mptransco.nic.in

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/स्था/ 809

दिनांक 8 MAR 2017

आदेश

मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के आदेश क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/2537 दिनांक 27.06.2016 के अनुसार सभी पेंशनरों/ परिवार पेंशनरों, जिसमें म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड एवं म.प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के साथ म.प्र. राज्य विद्युत मंडल से दिनांक 01.06.2005 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनर/परिवार पेंशनर भी शामिल हैं, को 125% की दर से मंहगाई राहत देय है। इस तारतम्य में कंपनी द्वारा निर्णय लिया गया है कि उक्त समस्त पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को 01 दिसम्बर 2016 से निम्नानुसार दर से मंहगाई राहत देय होगी। 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी :-

अवधि जब से देय है	मंहगाई राहत की दर प्रतिमाह
दिनांक 01.12.2016	पेंशन/परिवार पेंशन का 132%

- इस आदेश के उपरांत बढी हुई मंहगाई राहत राशि का भुगतान माह मार्च 2017 की पेंशन के साथ नगद किया जावेगा एवं माह दिसम्बर 2016, जनवरी 2017 एवं फरवरी, 2017 की अवधि की अंतर राशि (एरियर्स) का भुगतान तीन समान मासिक किश्तों में मार्च 2017, अप्रैल 2017 एवं मई 2017 की देय पेंशन के साथ किया जावेगा।
- माह जुलाई 2016 से माह नवम्बर 2016 तक की अवधि की मंहगाई राहत की देय राशि का भुगतान राज्य शासन के परिपत्र क्रमांक एफ 9-6/2016/नियम/चार दिनांक 01.03.2017 के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2017-18 में किया जावेगा, जिसके संबंध में पृथक से आदेश जारी किया जावेगा।
- मंहगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा।
- पेंशन पर देय राहत की गणना मूल पेंशन अर्थात् सारांशीकरण के पूर्व (before commutation) की पेंशन पर होगी।

आदेशानुसार

मुख्य अभियंता (कार्पोरेट अफेयर्स)

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/स्था/ 810
प्रतिलिपि-

दिनांक 8 MAR 2017

- 01 अवर सचिव, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
- 02 कार्यपालक निदेशक (एच.आर.एण्ड ए.), म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कं.लि./म.प्र. पूर्व क्षे.वि.वि.कं.लि., जबलपुर।
- 03 कार्यपालक निदेशक (वित्त)/ (सी.आर.ए.), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 04 मुख्य अभियंता (टी.एण्ड सी.)/ (प्रोक्योरमेंट)/ (मानीटरिंग) (योजना एवं रूपांकन)/ (अउदा-निर्माण)/ (अउदा-संधारण एवं निरीक्षण)/ (राज्य भार प्रेषण केन्द्र), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- | | | |
|----------------------------|---------|--|
| C.E. (Plg. & Design) | 05 | मुख्य अभियंता (कार्य), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर। |
| S.E. (Plg.) | 06 | मुख्य अभियंता (ट्रांसमिशन-पूर्व क्षेत्र)/ (ट्रांसमिशन-पश्चिम क्षेत्र)/ (ट्रांसमिशन-मध्य क्षेत्र), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर/ इंदौर/ भोपाल। |
| S.E. (PS) / (Design) | | |
| S.E. (PSS) | | |
| E.E. (SSD) / (TL) | 07 (PS) | मुख्य महाप्रबंधक (एच.आर.एण्ड ए.), म.प्र.पॉवर मैनेजमेंट कं.लि., जबलपुर। |
| E.E. (Plg. II) / (Plg. II) | | |
| A.E. (EA) / (LW) | 08 (PS) | मुख्य महाप्रबंधक (एच.आर.एण्ड ए.), म.प्र. मध्य/ पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.लि., भोपाल/ इंदौर। |
| S.O. | 09 | अतिरिक्त मुख्य अभियंता (मा.सं.वि.)/ (आई.टी.)/ (सिविल-ट्रांस)/ (ओ.एण्ड एम.), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर। |
- 10 अधीक्षण अभियंता (टी.एण्ड सी.)/ (अउदा-निर्माण)/ (अउदा-संधारण)/ 400 के.व्ही. उपकेन्द्र वृत्त, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि.,
- 11 संयुक्त निदेशक (पेंशन एवं भविष्य निधि), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 12 मुख्य महाप्रबंधक (एच.आर.), महाराष्ट्र राज्य विद्युत ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, प्लाट नं. सी-19, 'E' ब्लाक, प्रकाशगंगा, 7वीं मंजिल, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा(पूर्व), मुम्बई-400051.
- 13 अति. महाप्रबंधक (मा.स.), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी मर्यादित, रायपुर।
- 14 कार्यपालन अभियंता (परीक्षण)/ (संचार)/ (अउदा-निर्माण)/ (अउदा-संधारण)/ (कर्मशाला)/ (400 के.व्ही. परीक्षण)/ (उप भार प्रेषण केंद्र), संभाग, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि.,
- 15 उप निदेशक (पेंशन एवं भविष्य निधि), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 16 कल्याण अधिकारी अधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 17 निज सचिव संबद्ध प्रबंध निदेशक/ निदेशक (तकनीकी), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 18 क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर/ भोपाल/ इंदौर।
- 19 वरिष्ठ/ क्षेत्रीय लेखा अधिकारी/ (के.ले.ई.)/ म.प्र. पूर्व/ मध्य/ पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड/ म.प्र.पावर मैनेजमेंट/ जनरेटिंग कं. लि.,
- 20 वेब मास्टर।

टीप :- सरल क्रमांक 2, 7 एवं 8 के लिये।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कार्यरत समस्त वरिष्ठ/ क्षेत्रीय लेखा अधिकारियों को उपरोक्त आदेश के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही के लिए निर्देशित करने का कष्ट करें।

Prayman

अधीक्षण अभियंता
कार्या.- मुख्य अभियंता (कार्पोरेट अफेयर्स)
म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।